

02/11/22

12

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज/जवाब व न्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन कर उन पर मनन किया गया। प्रावधानों द्वारा ख.न. 29 के संलग्न में अनुलोप प्राप्त गया है जो कि राज्य रिफॉर्म में जी.मु. पहाड़ के रूप में पत्र है। इस प्रा.पत्र पर निर्णय कर प्रावधानों में अनुलोप प्रदान करना इस न्यायालय में राज. कायदा अधिनियम, 1955 अनुसार प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आता है। यह प्रा.पत्र अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु पर साक्षित कर पत्र में वकील प्रावधानों असफल रहे हैं। इसके अन्वय ही में न्यायालय द्वारा स्वयं संज्ञान में लेते हुए उक्त विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर OR II CPC में रवारिज किया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार हो पत्र नंबर से कम होकर वास्तविक दफतर हो। यह निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया। नहीलदार, कि. रजमाल में इस हेतु नहील जारी है।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)

